[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 22/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2017

सा.का.नि. (अ)– सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से सहमत होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 73/2006- सीमा शुल्क, दिनांक 10 जुलाई, 2006, जिसे सा.का.नि. 408 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित आगे संशोधन करती है, यथा :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"2. 1 अप्रैल, 2005 से 19 फरवरी, 2006 तक किए गए निम्नलिखित श्रेणी के निर्यातों को निर्यात निष्पादन की गणना या इस योजना के अंतर्गत पात्रता की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा-

(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं का निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात;

(ii) एसईज़ेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों का कुल निर्यात कारोबार या उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात और वे निर्यात जो कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र एकक के माध्यम से किए गए हों;

(iii) समझा गया निर्यात (चाहे भुगतान स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक के विदेशी चालू खाते से भुगतान प्राप्त किया गया हो);

(iv) सेवा निर्यात;

(v) रफ, अनकट और सेमी पॉलिश हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्न;

(vi) सोना, चांदी, प्लेटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुएं चाहे वे किसी भी रूप में हों, जिनमें साधारण या जड़ित आभूषण भी आते हैं का निर्यात;

(vii) दूसरे निर्यातक की ओर से किसी एक निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात । "।

3. उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2, जो कि प्रतिस्थापित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. 20 फरवरी, 2006 से किए गए निम्नलिखित श्रेणी के निर्यातों को निर्यात निष्पादन की गणना या इस योजना के अंतर्गत पात्रता की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा –

(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं का निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाने वाला निर्यात;

(ii) एसईज़ेडएसटीपी/ईएचटीपी/ईओयू//बीटीपी के अंतर्गत कार्यरत इकाईयों का कुल निर्यात या ऐसी इकाईयों को की गई आपूर्ति या उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निर्यात और वे निर्यात जो कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र एकक के माध्यम से किए गए हों;

(iii) समझा गया निर्यात (चाहे भुगतान स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो अथवा विदेशी मुद्रा अर्जक के विदेशी चालू खाते से भुगतान प्राप्त किया गया हो);

(iv) सेवा निर्यात;

(v) हीरे और अन्य बहुमूल्य अर्द्ध बहुमूल्य रत्न;

(vi) सोना, चांदी, प्लेटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुएं चाहे वे किसी भी रूप में हों, जिनमें सादे या जड़ित आभूषण भी आते हैं का निर्यात;

(vii) सभी प्रकार के अयस्क और सांद्र चाहे वे जिस किसी भी रूप में हों;

(viii) सभी प्रकार के अनाज;

(ix) सभी प्रकार की चीनी चाहे वह जिस रूप में हो;

(x) कच्चा या पेट्रोलियम ऑयल और कच्चा/ पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो कि आईटीसी एचएस कोड 2709 से 2715 के अंतर्गत आते हों, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों;

(xi) दूसरे निर्यातक की ओर से किसी एक निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात।" ।

(फा.सं. 605/04/2017-डीबीके)

(आनंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 73/2006- सीमा शुल्क, दिनांक 10 जुलाई, 2006 को सा.का.नि. सं. 408 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 2006 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अतिम बार अधिसूचना सं. 05/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 20 फरवरी, 2015, जिसे सा.का.नि. 116 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था के द्वारा संशोधन किया गया है।